न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर,

1. एक. मदनसिंह तनय महराजसिंह निवासी ग्राम खरगापुर,
तहसील रहली, जिला सागर म0प्र0

2. दो. श्रीमति पार्वतीबाई पत्नि हरिशंकर निवासी ग्राम पडरई,
तहसील व जिला नरसिंहपुर, म0प्र0

3. तीन. श्रीमति बैजन्तीबाई पत्नि मुन्नालाल निवासी ग्राम बरमान,
तहसील जिला नरसिंहपुर

....पुनरीक्षणकर्त्ता,

. विरुद्ध.

1. एक. श्री देव महावीरजी मंदिर/श्री देव हनुमान जी मंदिर,
स्थित ग्राम भैंसा, तहसील रहली, जिला सागर, म0प्र0

मोहतममकार. 1. रामप्रसाद तनय बैजनाथ प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम
भैंसा, तहसील व जिला सागर म0प्र0

2. कैलाशप्रसाद तनय युगलकिशोर शुक्ल, निवासी पथरिया, तहसील पथरिया
जिला दमोह म0प्र0

3. भास्कर तनय मुन्नालाल तिवारी निवासी भैंसा, तहसील रहली,
जिला सागर म0प्र0

4. तीन. मन्नूलाल तनय छुजलाल चढ़ार निवासी ग्राम भैंसा,
तहसील रहली, जिला सागर म0प्र0

.....अनावेदकगण

"पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू. रा. संहिता"

... आवेदकगण, श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निग. 894–दो/2004 जिला–सागर

मदन सिंह विरूद्ध देव महावीर जी मंदिर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–10–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में आवेदक मदन सिंह के अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी एवं अनावेदक देव महावीर जी मंदिर के अधिवक्ता आर. डी. शर्मा उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र0क्र0 259/अपील/अ–6/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 10–06–2004 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक मदन सिंह द्वारा ग्राम भैसा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 32 रकबा 0.85 हैक्टेयर आवेदक क्र. 2 पार्वती बाई से दिनांक 24–01–97 को क्रय किया तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि क्रमांक 5 पर दर्ज किया, किन्तु अनावेदक की ओर से आपत्ति प्राप्त होने से विवादित नामांतरण का मामला नायब तहसीलदार रहली को भेजा गया, जिसमें नायब तहसीलदार ने प्रकरण की जांच उपरांत दिनांक 18–02–1998 को अनावेदक/आपत्तिकर्ता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आवेदक क्र. 1 मदन सिंह का नाम विवादित भूमि पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रहली के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09–02–1999 से अपील को निरस्त किया तथा नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा	

23.X.18

GM

अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 259/अपील/अ–6/1998–99 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 10–06–2004 से अपील मान्य किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये है जो निगरानी मेमों में प्रस्तुत किये है, इसलिये उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी मगोले थे तथा मृत्यु पूर्व मगोले ने वसियतनामा दिनांक 11–06–79 तथा दानपत्र दिनांक 07–05–87 के द्वारा खसरा क्रमांक 16 व 107 कुल रकबा 2.753 हैक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 13 व 135 कुल रकबा 1.919 हैक्टेयर भूमि का अनावेदक देव महावीर जी मंदिर के पक्ष में निष्पादित किया गया था तथा अभिलेख में भी मंदिर का नाम दर्ज हो गया था । ऐसी स्थिति में यदि आवेदक क्र. 2 श्रीमती पार्वती बाई का यदि उक्त भूमि पर उत्तराधिकारी के आधार पर नाम दर्ज होना था तो संहिता की धारा 110 के अंतर्गत नवीन नामांतरण नियमों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना पत्र अनावेदक को दिया जाना चाहिये था जो की आवश्यक था, किन्तु नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया है। जब अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति पेश की गई थी, तब नायब तहसीलदार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह अभिलेख का परिशीलन करते तथा आपत्ति का निराकरण कर यह सुनिश्चित करते कि क्या मृतक मगोले ने उक्त प्रश्नाधीन भूमि का वसियतनामा व दानपत्र निष्पादित किया और क्या उसके आधार पर ही अनावेदक का नाम अभिलेख में दर्ज हुआ था। यदि भूमिस्वामी में जीवनकाल में किसी के पक्ष में वसियतनामा/दानपत्र निष्पादित करता है, जो पंजीयत भी है,

ऐसी स्थिति में पक्षकारों को सुने बिना उत्तराधिकारी के आधार पर कोई नामांतरण नहीं किया जा सकता । तहसील न्यायालय ने अनावेदक की पंजीयत वसीयतनामा / दानपत्र द्वारा प्राप्त भूमि होने पर भी अपने पक्ष रखने का अवसर अनावेदक को नहीं दिया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। अनुविभागीय अधिकारी ने भी तहसील न्यायालय के आदेश को उचित मानने में त्रुटि की है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है तो अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में अनियमितता पाते हुये निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि खसरा नं. 32 के संबंध में नामांतरण पंजी पर पारित समस्त नामांतरण प्रभाव शून्य मानते हुये मामला विवादित नामांतरण माना जाये एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुये अनावेदक मंदिर के पक्ष में मृतक मगोले द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 11–06–79 व दानपत्र दिनांक 07–05–87 के आधार साक्ष्य एवं सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित किया जाये। अतः अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित न होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 10–06–2004 यथावत रखा जाता है ।

7/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

23.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य